उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन
राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्याः 1178/उ0प्र0कौ0वि0मि0/2021–22/बी.ओ.सी.डब्लू./1820
दिनांक : 17 अगस्त, 2021

सेवा में,

समस्त जिला समन्वयक,
जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई,
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– बी.ओ.सी.डब्लू. तथा एस.सी.ए.टू.एस.सी.एस.पी. योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाइजेशन/चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

विगत वर्षों में बी.ओ.सी.डब्लू. योजना व एस.सी.ए.टू.एस.सी.एस.पी. योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा आपत्तियाँ व्यक्त की गयी है।

2. बी.ओ.सी.डब्लू. योजना के अन्तर्गत वे ही श्रमिक अथवा उनके पारिवारिक आश्रित सदस्य प्रशिक्षण हेतु पात्र है, जो श्रम विभाग (बी.ओ.सी.डब्लू बोर्ड) के पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं पंजीकृत श्रमिक के प्रशिक्षणार्थी होने की दशा में उसे निम्नलिखित ट्रेड्स/सेक्टर्स में ही प्रशिक्षण दिया जा सकता हैः–

फैब्रीकेशन, प्लम्बिंग, इलैक्ट्रिकल, सिक्योरिटी, वुडवर्क, फर्नीचर एण्ड फिटिंग, कन्स्ट्रक्शन

पंजीकृत श्रमिकों के आश्रितजनों के लिए उक्त बाध्यता नहीं है।

3. इसी प्रकार एससीएटूएससीएसपी योजना की पात्रता में प्रशिक्षणार्थी का अनु0 जाति के गरीबी की रेखा के परिवार का सदस्य होना तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का निवासी होना आवश्यक है।

4. इसी क्रम में यह अवगत कराना है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य संचालन समिति की बैठक दिनांक 17.02.2020 में यह निर्णय किया जा चुका है कि ***"प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाइजेशन का कार्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए किया जायेगा ताकि उनकी पात्रता इत्यादि की पुष्टि प्रारंभ में सुनिश्चित की जा सकें।"***

5. अतः अपने जनपद में कार्यरत समस्त प्रशिक्षण प्रदाताओं को उक्त निर्देशों से स्पष्ट रूप से अवगत करा दें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की हस्ताक्षरयुक्त सूची सम्बन्धित विभागों/विभागीय अधिकारियों से प्राप्त कर ली जायें तथा उक्त सूची के अनुसार ही इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों का इनरोलमेंट सुनिश्चित किया जाये।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता पायी जाने अथवा किसी अपात्र प्रशिक्षणार्थी का चयन होने की दशा में आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्याः 1178/उ0प्र0कौ0वि0मि0/2021–22/बी.ओ.सी.डब्लू./1820 **तददिनांकित।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. उपनिदेशक, टी0पी0पी0 प्रकोष्ठ, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
4. प्रबंधक, आई0टी0 प्रकोष्ठ को पोर्टल पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।
5. गार्ड फाइल।

17/8/21

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक